ई-मेल

विधानसभा आम चुनाव–2018
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.8(2)(11)निर्वा/2018/ 9613 जयपुर, दिनांकः 6-11-2018

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स), राजस्थान।

समस्त रिटर्निंग अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः सर्विस वोटर्स के डाक मतपत्रों का इलेक्ट्रोनिकली (ETPBS) के द्वारा सम्प्रेषण–डाक मतपत्रों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का समय–सीमा में सम्प्रेषण करने बाबत।

प्रसंगः आयोग का पत्रांक 52/LET/ECI/FUNC/JUD/SDR/2018-Vol.I दिनांक 19.02.2018 व क्रमांक 52/LET/ECI/ FUNC/ JUD/SDR/2018-Vol.II दिनांक 09.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ श्रेणी के मतदाता डाक मतपत्र से मतदान के हकदार है। जिनमें सेवानियोजित मतदाता, विशिष्ट मतदाता, निवारण निरोध के अध्यधीन मतदाता, निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त मतदाता तथा अधिसूचित मतदाता शामिल है। उपरोक्त श्रेणियों में सेवानियोजित मतदाता की श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणियों के मतदाताओं के डाक मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ.8(2)(10)निर्वा/2018/7624 दिनांक 15.10.2018 तथा इनके डाक मतपत्रों को जारी करने/मतदान कराने आदि की व्यवस्था के संबंध में भी विभागीय पत्र जारी किया जा चुका है। सेवानियोजित मतदाताओं के लिए भी पूर्व में डाक मतपत्रों का मुद्रण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करवाया जाकर और डाक मतपत्रों का लिफाफा तैयार कर डाक द्वारा उनके रिकार्ड ऑफिस/यूनिट को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था थी, जिसमें अब परिवर्तन हो चुका है।

2. इस संबंध में निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 23 में दिनांक 21.10.2016 को अधिसूचना जारी करते हुए संशोधन किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि सेवानियोजित मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा डाक मतपत्र का प्रेषण ऐसे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किया जायेगा, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावें। जहाँ किसी डाक मतपत्र का प्रेषण इलेक्ट्रोनिकी रूप से किया जावे तो उक्त नियमों के नियम 22, 24 तथा 27 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

3. उपरोक्त संशोधन के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 19.02.2018 को जारी निर्देशों में सेवानियोजित मतदाताओं को इलेक्ट्रोनिकी रूप से डाक मतपत्र प्रेषण करने का तरीका निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 9.8.2018 के द्वारा सेवानियोजित मतदाताओं को डाक मतपत्रों एवं संबंधित कागजात को सम्प्रेषित करने के लिए और इलेक्ट्रोनिकली रूप से सम्प्रेषित डाक मतपत्रों एवं संबंद्ध दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। आगामी विधानसभा आम चुनावों के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22.11.2018 को अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि है और इसी दिन चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो जायेगी। आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थिता वापसी की अन्तिम तिथि के आगामी दिवस तक सेवानियोजित मतदाताओं को सम्प्रेषित किये जाने वाले डाक मतपत्रों एवं संबंद्ध कागजात को पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। आयोग ने यह भी निर्धारित किया है कि अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तिथि के बाद 8वें दिन तक पोर्टल से डाक मतपत्र और संबंद्ध पत्रादि डाउनलोड किये जा सकते हैं। आयोग के इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप डाक मतपत्रों का सम्प्रेषण ETPBS के माध्यम से करने एवं वापस प्राप्त करने के लिए समय सारिणी निर्धारित करते हुए इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ.8(2)(11)निर्वा/2018/8923 दिनांक 31.10.2018 के द्वारा प्रेषित की गई, जो निम्न प्रकार है:–

S.No.	Description	Date	Time
1	Start date & time for downloading e-Postal Ballot	23.11.2018	3.00 PM
2	End date & time for downloading e-Postal Ballot	30.11.2018	11.59 PM
3	Date of Poll	07.12.2018	-
4	Cut-off date & time for the receipt of the marked e-Postal Ballot at the office of Returning Officer (RO)	11.12.2018	7.59 AM

नोट: उक्त तालिका में वर्णित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय का तात्पर्य डाक मतपत्र प्राप्ति के प्रयोजन से नियुक्त नोडल अधिकारी से है, जिसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर रहेगा। अतः रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के पते के रूप में उक्त नोडल अधिकारी के कार्यालय (कक्ष संख्या, भवन आदि) का पता वर्णित किया जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि मतगणना के दिन प्रातः 8.00 बजे तक डाक मतपत्र सीधे ही मतगणना केन्द्र पर प्राप्त किये जा सकेंगे।

4. उक्त समय सारिणी से स्पष्ट है कि सेवा नियोजित मतदाताओं के यूनिटों/ऑफिसों के नोडल अधिकारियों/रिकार्ड आफिसरों को ETPBS Portal से e-Postal Ballot डाउनलोड करने के लिए कुल 8 दिन का समय प्राप्त होगा, इस दौरान वे डाक मतपत्र एवं संबंद्ध दस्तावेजों को OTP द्वारा संरक्षित प्रिन्ट प्राप्त कर सकेंगे।

5. रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सेवा नियोजित मतदाताओं को डाक मतपत्रों एवं संबंद्ध कागजात को ETPBS Portal से दिनांक 23.11.2018 को सम्प्रेषित करने के लिए QR Code Scanner, Software, Computer आदि व्यवस्थाएं समय पूर्व ही सुनिश्चित की जानी है, जिसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश दिये गये है। रिटर्निंग अधिकारियों के मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल की सही–सही सूचना भी ETPBS System पर upload करना सुनिश्चित कर लिया जावे।

6. कागजात जो इलेक्ट्रोनिकी रूप से प्रेषित किये जायेंगे – डाक मतपत्र एवं उसके साथ संबंद्ध निम्नांकित कागजात रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रोनिकी रूप से प्रेषित (Electronically Transmitted) किये जायेंगे –

(क) e-Postal Ballot Paper,
(ख) प्ररूप 13–क (निर्वाचक द्वारा घोषणा)
(ग) प्ररूप 13–ख के लिए लेबल (कवर–ए) (अन्दर का लिफाफा),
(घ) प्ररूप 13–ग के लिए लेबल (कवर–बी) (बाहरी लिफाफा),
(ङ.) प्ररूप 13–घ (निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश)

7. इलेक्ट्रोनिकी रूप से प्रेषण करने का तरीका – केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारी (C-Admin) द्वारा डाक मत पत्र के इलेक्ट्रोनिकी रूप से प्रेषण करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की संचालन प्रक्रिया को क्रियाशील किया जायेगा, जिसके पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी सिस्टम में लॉगइन कर सकेगा और डाक मत पत्र एवं संबंद्ध कागजात को प्रेषण करने के लिए निम्नांकित कार्यवाही सम्पन्न करेगा –

(अ) निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन संबंधी डेटा को एन्टर करेगा एवं उपलब्ध डेटा का व्यू कर इसकी शुद्धता सुनिश्चित करेगा। इस डेटा में निर्वाचन का विवरण, निर्वाचन क्षेत्र का कोड, निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार (AC or PC) निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन की तिथि और रिटर्निंग अधिकारी का पता जहाँ पर चिन्हित डाक मत पत्र को वापिस प्रेषित/ई–मेल किया जायेगा।
(ब) डाक मतपत्र के लिए डाउनलोड विन्डो (अर्थात् start date & time and end date & time) को एन्टर किया जायेगा।
(स) रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्र के template को 7–A की सूची के अनुसार load किया जायेगा।
(द) सिस्टम के द्वारा जनरेट किये गये डाक मतपत्र के नमूने का व्यू किया जायेगा और उसको अनुमोदित किया जायेगा।
(य) संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से संबंद्ध सेवानियोजित मतदाताओं के लिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड सभी डाक मतपत्रों एवं पासवर्ड (PIN) को जनरेट किया जायेगा।

8. इलेक्ट्रोनिकी रूप से प्रेषित डाक मत पत्र (Electronically Transmitted Postal Ballot Paper) (ETPB) को डाउनलोड करना और उनका मुद्रण करना – (i) उपरोक्त प्रकार से डाक मत पत्र एवं संबंद्ध कागजात को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा संबंधित यूनिट/रिकार्ड ऑफिस में इलेक्ट्रोनिकली रूप से प्रेषण करने के उपरान्त संबंधित रिकार्ड/यूनिट का अधिकारी/नोडल अधिकारी जो अधिकृत होगा वह इन ETPB को सुरक्षित OTP माध्यम का उपयोग करते हुए डाउनलोड करेगा। इसके पश्चात् संबंधित सेवानियोजित मतदाता, यदि वह सक्षम है तो, अन्यथा यूनिट ऑफिसर/नोडल ऑफिसर ETPB का प्रिन्ट लेकर संबंधित सेवानियोजित मतदाता को ETPB एवं साथ में संबंद्ध प्ररूप–13–क, कवर–ए, कवर–बी तथा प्ररूप–13–घ का भी प्रिन्ट लेकर सुपुर्द करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस सेवानियोजित मतदाता के लिए जो

ETPB एवं संबंद्ध कागजात प्रेषित किये गये है वह संबंधित सेवानियोजित मतदाता को ही प्राप्त हो।

(ii) सेवानियोजित मतदाता को रिकार्ड ऑफिस/यूनिट ऑफिस में दो लिफाफे भी दिये जायेंगे जिसमें एक लिफाफा छोटा होगा जो प्ररूप–13–ख (कवर–ए) के लिए होगा, जिसमें डाक मतपत्र रखा जाता है। दूसरा लिफाफा इससे बड़ा होगा जो प्ररूप–13–ग (कवर–बी) के लिए होगा। ये दोनों लिफाफे संबंधित रिकार्ड ऑफिस/यूनिट ऑफिस में रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सेवानियोजित मतदाताओं की संख्या के दृष्टिगत अग्रिम तौर पर भेजे जायेंगे।

(iii) यूनिट ऑफिसर/नोडल ऑफिसर प्रत्येक सेवानियोजित को दिये जाने वाले ETPB का लेखा संधारित करेगा और यह लेखा संबंधित यूनिट में 5 वर्ष तक रखा जायेगा ताकि आवश्यकता होने पर किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा इसको देखा जा सके या वहाँ प्रस्तुत किया जा सके।

9. **ETPB से सेवानियोजित मतदाताओं द्वारा मतदान** – उपरोक्त प्रकार से सेवानियोजित मतदाताओं को जब ETPB और उससे संबंद्ध उपरोक्त पत्रादि प्राप्त हो जाते है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा –

(क) अपने इच्छित उम्मीदवार के सामने वह क्रॉस (×) या टिक (✓) का निशान मतपत्र पर अंकित करेगा। इसके बाद इस मतपत्र को वह छोटे लिफाफे में रखकर उसको बन्द करेगा, गोंद से चिपकायेगा और लिफाफे पर प्ररूप–13–ख का लेबल चिपकायेगा। इसके साथ–साथ प्ररूप–13–ख के लेबल पर जहाँ मतपत्र क्रमांक अंकित करने के लिए स्थान दर्शाया हुआ है वहाँ मतपत्र का क्रमांक, यदि पहले से मुद्रित नहीं है तो, आवश्यक रूप से अंकित करेगा।

(ख) प्ररूप–13–क में निर्वाचक की घोषणा को हस्ताक्षरित करेगा और प्रमाणीकरण के अधिकृत/मनोनीत अधिकारी से इसे प्रमाणित करवायेगा।

(ग) उपरोक्त (क) में वर्णित बन्द किये हुए छोटे लिफाफे (प्ररूप 13–ख) तथा उपरोक्त (ख) में वर्णित प्ररूप 13–क में निर्वाचक की घोषणा को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखेगा और इस लिफाफे को भी बन्द करके गोंद से चिपका देगा।

(घ) उपरोक्त (ग) में वर्णित बड़े लिफाफे पर प्ररूप 13–ग में लेबल (कवर–बी) चिपकायेगा और प्ररूप 13–ग में प्रेषक के हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

10. **मतदान पश्चात् ETPB को रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करना** – उपरोक्त प्रकार से ETPB पर सेवानियोजित मतदाता के द्वारा मतदान की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के पश्चात् वह उक्त बड़ा लिफाफा (प्ररूप 13–ग) को रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध डाक के माध्यम से प्रेषित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी का पता पूर्व से ही प्ररूप 13–ग पर अंकित होगा। प्ररूप 13–ग के इस बड़े लिफाफे पर भारत के भीतर पोस्टेज स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी को सही समय पर पहुँच जावें इसकी व्यवस्था के लिए डाक–तार विभाग को

निर्देशित किया जा चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने स्तर पर डाक–तार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि उक्त डाक मतपत्र के लिफाफे सुव्यवस्थित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में संबंधित नोडल अधिकारी को यथा समय प्राप्त हो और मतगणना दिवस को मतगणना प्रारम्भ करने के लिए नियत समय तक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना स्थल पर प्राप्त हो जावे। ऐसे उक्त डाक मत पत्र के लिफाफे डाक–तार विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट के रूप में प्रदान किये जायेंगे और इनका व्यय जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

11. ETPB से प्राप्त मतों की गणना –

(1) ETPB से प्राप्त मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल पर की जायेगी, जैसे कि अन्य डाक मतपत्रों की भी गणना की जाती है। केवल वे ही डाक मतपत्र गणना में शामिल किये जाते है जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिए नियत समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाते है।

(2) मतगणना का प्रथम चरण –

(i) ETPB की मतगणना की प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्ररूप 13–ग (बड़ा लिफाफा) खोला जायेगा। प्ररूप 13–ग में इन बडे लिफाफों को एक–एक कर सत्यापित करते हुए खोला जायेगा और इनको सत्यापित करने के लिए उस पर अंकित QR Code को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा स्केन किया जायेगा तथा QR Code reader एवं आवश्यक वैधता जाँच (validity checks) की कार्यवाही की जावेगी। प्ररूप 13–ग के बड़े लिफाफे के सत्यापन के पश्चात् कम्प्यूटर के द्वारा एक यूनिक सिरीयल नम्बर दिया जायेगा। इस यूनिक सिरीयल नम्बर को प्ररूप 13–ग के उक्त बड़े लिफाफे पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा हाथ से अंकित किया जायेगा।

(ii) प्राप्त हुए डाक मतपत्रों की सूची में यदि कोई दोहरे डाक मतपत्र प्राप्त हुए है तो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर QR Code से उनके इन्द्राज को जाँचते हुए उनकी सूचना देगा और उनके लिए वार्निंग फ्लैग करेगा। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्राप्त डाक मतपत्रों में सभी ऐसे दोहरे डाक मतपत्रों के क्रमांक की सूची उपलब्ध करवायेगा, जिसके आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त दोहरे लिफाफों की पहचान करके और इन्हें एक साथ करते हुए इनको डुप्लीकेट/मल्टीपल वोट के रूप में अवैध घोषित करेगा। अवैध घोषित ऐसे सभी लिफाफे आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं खोजे जावेंगे और इन्हें अलग रखा जावेगा और भविष्य में किसी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जावेगा। इन सभी डुप्लीकेट और अवैध घोषित डाक मतपत्रों के क्रमांक को रजिस्टर में दर्ज भी किया जायेगा।

(iii) QR Code की स्केनिंग आवश्यक रूप से क्रम में (In the sequence) की जावें। प्ररूप 13–ग के लिफाफे को पहले स्केन किया जावे, इसके बाद प्ररूप 13–क पर QR Code को स्केन किया जावें और इसके बाद प्ररूप

13–ख को स्केन किया जावें। QR Code की स्केनिंग का क्रम किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जावे।

(iv) प्ररूप 13–ग में प्राप्त बड़े लिफाफों, जो अवैध नहीं पाये गये है, को एक–एक कर खोला जायेगा, जिसके भीतर 2 दस्तावेज निकलेंगे। प्रथम प्ररूप 13–क में निर्वाचक की घोषणा और दूसरा छोटा लिफाफा (प्ररूप 13–ख) जिसमें डाक मतपत्र होगा।

(v) प्ररूप 13–ग के बडे लिफाफे को खोलने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी सर्वप्रथम प्ररूप 13–क में निर्वाचन की घोषणा को और प्ररूप 13–ख में कवर को लेगा और उसको स्कैन करेगा, उसकी जाँच करेगा और इसके बाद निर्वाचक की घोषणा का परीक्षण करेगा।

(vi) प्ररूप 13–ख में छोटे लिफाफे (जिसमें डाक मतपत्र है) को खोलने से पहले रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 13–क में घोषणा का परीक्षण करना होगा।

(vii) रिटर्निंग अधिकारी छोटे लिफाफे (प्ररूप 13–ख) को खोले बिना ही डाक मतपत्र को खारिज कर देगा, यदि –
(ए) फार्म 13–क में निर्वाचक की घोषणा नहीं पाई गई हो, या
(बी) फार्म 13–क सम्मत रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया हो, या
(सी) अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण (substantially defective) हो या
(डी) फार्म 13–क पर e-Postal Ballot Identification Number (e-PBID) जारी किये गये e-PBID से मेल नहीं खाता हो, या
(ई) फार्म 13–क पर अंकित डाक मतपत्र का e-PBID फार्म 13–ख के लिफाफे पर अंकित e-PBID से भिन्न हो।

(viii) उक्त खंड (vi) में वर्णित कारणों से खारिज किये गये डाक मतपत्र के लिफाफे (फार्म 13–ख) एवं निर्वाचक की घोषणा (फार्म 13–क) पर खारिज करने संबंधी पृष्ठांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ix) ऐसे पृष्ठांकित हर एक लिफाफे और उसके साथ प्राप्त घोषणा को पुनः फार्म 13–ग के लिफाफे में रखा जायेगा और फार्म 13–ग के ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे, जिसे सीलबन्द किया जायेगा और इस सीलबन्द पैकेट पर निर्वाचक क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख, और उसकी अन्तर्वस्तुओं (Contents) का संक्षिप्त वर्णन अंकित किया जायेगा ताकि आसानी से उसे पहचाना जा सके।

(x) रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यवाही के पश्चात प्ररूप 13–क में सभी घोषणाओं को जो उक्त संवीक्षा में सही पाई गई है उन्हें एक पृथक पैकेट में रखेगा और इन्हें प्ररूप 13–ख के लिफाफे (जिसमें डाक मतपत्र है) को खोलने के पहले ही सीलबन्द कर देगा और उस पर उक्त खंड (viii) में बताई गई विशिष्टियां अंकित करेगा।

(2) मतगणना का द्वितीय चरण –

(i) प्ररूप 13–ख में लिफाफों, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज नहीं किये गये हैं, को एक–एक करके खोला जायेगा और उसमें से निकाले गये हर एक मतपत्र की संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी करेगा और उस पर अभिलिखित मत की वैद्यता का निर्णय करेगा।

(ii) इस प्रकार खोले गये प्ररूप 13–ख के लिफाफों में से निकाले गये मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी खारिज कर देगा, यदि –

(a) यदि उस पर ऐसा कोई चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिए चिन्ह से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके, या

(b) यदि उस पर कोई अभिलिखित नहीं है, या

(c) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिये गये है, या

(d) यदि वह बनावटी मतपत्र है, या

(e) यदि वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है।

(iii) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को खारिज कर दिया जाएगा यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति में लगाा है कि यह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी का दिया गया है।

(iv) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है खारिज नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(v) रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये, गणना करेगा, उनके जोड को प्ररूप 20 में के परिणामपत्र में अभिलिखित करेगा और उसकी घोषणा करेगा।

(vi) तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी खारिज मतपत्रों के पृथक–पृथक बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग अधिकारी की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबन्द पैकेट पर निर्वाचन–क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

खारिज किये गये मतपत्रों, चाहे वे प्रथम चरण में खारिज किये गया अथवा द्वितीय चरण में खारिज किये गये हो, की संख्या परिणाम पत्र (Form -20) में दर्ज भी की जायेगी।

<u>विधानसभा आम चुनाव–2018</u>
<u>अति आवश्यक</u>

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावें। यह भी उल्लेखनीय है कि डाक मतपत्रों की गणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पुनः संवीक्षा, वीडियोग्राफी आदि से संबंधित दिशा–निर्देशों की भी पालना की जावें। ETPBS के डाक मतपत्रों की गणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी निर्देश/जानकारी दी जायेगी।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

D:\VS Election 2018 RKP\Letter-Hindi.docx

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI- 110001

No. 52/LET/ECI/FUNC/JUD/SDR/2018-Vol.II Dated: 9th August, 2018

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories.

Sub: - Transmission of Postal Ballot electronically under ETPBS-Time limit for transmission of postal ballots and connected papers.

Sir/Madam,

As per the existing instructions regarding transmission of postal ballot papers for the service voters, the Returning Officers are required to upload on the ETPBS portal, the postal ballot papers and other connected papers [form 13A, lable of Form 13B, 13C, Form 13D] within 48 hours after the last date for withdrawal of candidatures. The time limit followed earlier when postal ballots were sent in physical form by post was being followed so far for uploading of postal ballots on ETPBS also.

2. The Commission has reviewed the position. The time and labour involved in physically sending postal ballots is saved in transmission though ETPBS. All that the Returning Officer is required to ensure is that the ballot paper is prepared as per the Commission's directions.

3. Early action by Returning Officer in transmission of postal ballots will provide more time for downloading and printing of the ballot papers in the Units and further action of delivering to the service voters concerned and for the service voters to cast vote and send the ballot back to the Returning Officers by post.

4. Having regard to the above position, the Commission has directed that the Returning Officers shall ensure that uploading of postal ballot papers and the connected papers for service voters on the ETPBS shall be completed by the

day following the last date for withdrawal of candidatures. The Returning Officers shall ensure this without fail in all cases and issue a certificate to this effect.

5. The Commission has instructed the Unit level Officers through the Nodal officers of the Forces that downloading of the electronically transmitted postal ballots along with the other connected papers uploaded by the Returning Officers, should be completed latest by the eighth day after the last date for withdrawal of candidature. Uploading the ballot paper by the day following the last date for withdrawal will leave seven days for unit officers to download all papers, to get them printed and distributed to the Service Voters. Therefore, the Returning Officers shall ensure that they complete the uploading at the earliest and in any case by the day following the last date for withdrawal of candidatures.

6. These instructions may be brought to the notice of all Returning Officers for compliance.

7. Kindly acknowledge.

Yours faithfully,

(N.T.Bhutia)
Secretary

Copy to:
1. DECs/Principal Secretaries/Secretaries
2. IT Division.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI- 110001

No. 52/LET/ECI/FUNC/JUD/SDR/2018-Vol.I Dated: 19th February, 2018

To,

The Chief Electoral Officer's
1. Bihar, Patna
2. Uttar Pradesh, Lucknow

Sub: - Bye Elections to the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Bihar and Uttar Pradesh and in the State Legislative Assembly of Bihar, 2018. Commission's Direction regarding transmission of postal ballot papers for service voters, electronically.

Sir/Madam,

I am directed to send herewith a copy of the Direction dated 19th February, 2018 issued by the Commission in terms of second proviso to sub-rule (1) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, laying down the manner of transmitting postal ballot papers electronically for transmission of postal ballots for service voters at the current bye-elections from **09-Araria Parliamentary Constituency, 205-Bhabua & 216-Jehananbad Assembly Constituencies in Bihar and 51-Phulpur & 64-Gorakhpur Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh.** You are requested to forward copy of the Direction to the Returning Officers for electronic transmission of postal ballot papers to the service voters. This may also be communicated to District Election Officers and the other election authorities. The contesting candidates should also be briefed by Returning Officers /District Election Officers in this regard.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Sd/-

(Lata Tripathi)
Under Secretary

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 52/2018/SDR Dated: 19th February , 2018

DIRECTION

In terms of the provisions of the Second Proviso to sub-rule(l) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission hereby lays down the following manner for transmission of postal ballot papers by electronic means to the service voters and counting of the postal ballots received back from service voters: -

1. Documents to be transmitted -

The Returning Officer shall transmit the following documents electronically:

(a) Postal Ballot Paper,

(b) Form 13-A-Declaration by Elector,

(c) Label for Form 13-B- Cover A (Inner Envelope),

(d) Label for Form l3-C-Cover B (Outer Envelope),

(e) Form l3-D- Instructions for the Guidance of Elector.

2. Mode of transmission-

After the Central Administration Officer (C- Admin) activates the RO operations regarding release of postal ballot paper electronically, the Returning Officer shall be able to log into the system and perform the following activities.

a. Enter/view the data for the election of his constituency as per the election schedule (i.e. description of the election, state code of constituency, type of constituency (AC or PC), number of constituency, name of constituency, date of the election and RO address for mailing/dispatching back the marked Postal

b. Enter/view the download window (i.e. start date and time and end date and time) for Postal Ballot

c. Load template of the Postal Ballot Paper specific to his constituency

d. View and approve the sample Postal Ballot generated by the system

e. Generate the password (PIN) and password protected Postal Ballots in bulk for the service voters associated to his constituency.

3. Downloading and printing of ETPB -

The officer in charge of Records/Unit Officer concerned/Nodal Officer competent to download the Electronically Transmitted Postal Ballot Papers (ETPBs) shall download the same using the secure OTP means. Thereafter, if the service voter concerned is in a position to take printout of the ETPB, he shall do so using the PIN that would be transmitted to him. In other cases, the Unit Officer/Nodal Officer shall take the print of the ETPB and handover the ETPB along with print of Form-13A, labels for Form 13B and 13C and instruction in Form 13D to the service voter concerned. It shall be ensured that the ETPB and the accompanying documents meant for a particular service voter is handed over to that very particular service voter and to no one else. Two envelopes - one smaller envelope for Form 13B and a larger envelope for Form 13C shall also be supplied to each service voter. Concerned CEO would be supplying the sufficient number of envelopes (inner and outer) as per the specifications in advance and the Record Officer/Unit Officer/Commandant, they would be giving the pair of inner and outer envelopes to the Service Voter deployed with them. The Unit officer/Nodal Officer shall maintain a record of each of the ETPBs handed over to each service voter. This record shall be preserved in the unit concerned for five years so that the same can be produced for inspection before any authority or before Courts in the event the same is required to be inspected.

4. Voting and return of ETPB-

On receipt of the ETPB and the accompanying papers, the service voter shall-

(a) mark his vote on the ballot paper by putting a cross (X) or tick (v') against the name of the candidate of his choice as per the instructions in Form 13D. He shall then place the marked ballot paper inside the smaller envelope, close the envelope by gum and paste the label for Form 13B on this envelope. Also, the serial number of the ballot paper shall be noted on the Form 13B at the space provided for the purpose on that envelope, if not already printed thereon.

(b) Fill up the declaration in Form 13A, sign the same and get it attested by the officer designated for attestation.

(c) Place (i) the closed (gummed) smaller envelope (Form 13B) and (ii) the declaration in Form 13A, inside the larger envelope and close the same using gum.

(d) Paste the label for Form 13C on the larger envelope and put signature in the place marked for signature of sender.

(e) Dispatch the envelope (Form 13C) back to the RO through the available postal means.

(f) No postage stamp need be affixed on the envelope (Form 13C) if posted within India.

(g) CEOs should inform GM Post Office to accept the envelope for speed post delivery to addressee and charges would be paid by CEO Office.

5. Counting of Votes on ETPBs

(a) Counting of ETPBs shall be done at ROs Table as in the case of the other postal ballots.

(b) Only such Postal Ballots as are received before the hour fixed for commencement of counting shall be counted.

6. Opening of the Envelopes-

First Phase: Opening of Form 13-C (Outer Envelope)

(a) The covers in Form 13-C received in time should be verified and opened one after another. QR code on the Outer Envelope will be scanned using a computer software and QR code reader and necessary validity checks will be performed. After verification of the outer envelope, a unique serial number will be provided by the computer. This serial number will also be manually marked by RO on the envelope being verified. The computer software will check the entry in the QR code for any possible duplicates in the list of Postal Ballots received and flag a warning for such cases. The computer software will also provide the list of serial numbers which are all duplicate to the Postal Ballot

being handled. The RO will locate all such duplicate envelopes as indicated by the computer software and keep them together physically and invalidate all such duplicate/multiple votes. All such envelopes declared invalid shall not be opened for further processing and will be kept aside and preserved for future reference. Number of such duplicate Postal Ballots shall be marked in the register. .

(b) On opening the cover "B" (Form 13C), two documents are required to be found inside. The first is the declaration by the voter in Form 13-A and the second the inner cover i.e. Form 13-B containing the Postal Ballot Paper.

(c) As each cover is opened, RO should take out the declaration in Form 13-A and the cover in Form 13-B, scan, verify and then scrutinize the declaration.

(d) Before opening the cover in Form 13-B containing the Postal Ballot Paper, the Returning Officer must check the declaration in Form 13-A and all such forms 13A must be kept separately and sealed, before taking up Form 13B for opening and counting.

(e) Returning Officer will reject a Postal Ballot without opening its inner cover in Form 13-B if:

(i) the declaration in Form 13-A is not found in the cover, or

(ii) the Electronic Postal Ballot Identification Number (e-PBID) in the declaration in Form 13-A does not match the issued e-PBID, or

(iii) the declaration has not been duly signed and, or not attested by an officer competent to do so, or the e-PBID of Postal Ballot appearing in the declaration is different from the e-PBID on the cover in Form 13-B

(iv) Each such rejected cover should be endorsed suitably and the declaration and the cover should be placed back in the cover in Form 13-C(Outer Envelope). All such covers in Form 13-C should be kept together in a separate packet duly sealed and full particulars such as the name of the constituency, the date of counting and a brief description of contents should be noted thereon for easy identification.

(v) All the declarations in Form 13-A, which have been found to be in order, should then be kept separately for counting.

(vi) For further counting, all instructions for counting of postal ballot paper shall apply.

(vii) Scanning of QR Codes SHOULD be done in the sequence without fail. Form 13C should be scanned first, followed by both the QR Code on Form 13A and then Form 13B. SEQUENCE OF QR CODE SCANNING SHOULD NOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCEs.

Yours faithfully,

(N.T.BHUTIA)
SECRETARY